दिनांक	अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। अपील संख्या–40/2023 मो0 जमीर बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य। **आदेश**	अभ्युक्ति

1. उपस्थितिः

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता...श्री विकास कुमार झा

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता..........वसी अहमद खान व ठाकुर ब्रजेश सिंह

मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता......शहजाद हसन खान व असलम अंसारी

2. वाद का संक्षिप्त तथ्य/कथनः

अपीलार्थी मो0 जमीर, पिता–कमालुद्दीन अंसारी, पता–द्वार देवी चौक के नजदीक, थाना–बेतिया नगर, जिला–पश्चिम चम्पारण, बिहार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मनमाने कृत्य के विरूद्ध यह अपील दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि मदरसा इस्लामिया खेरदेउर मेहना, पो0+थाना–चनपटिया, जिला–पश्चिम चम्पारण (मदरसा सं0–889) में अपीलार्थी की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 30.06.2020 को विधिसम्मत तरीके से की गई थी, परन्तु मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा उक्त नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया गया है तथा अपीलार्थी के वेतन भुगतान हेतु मदरसा शिक्षा बोर्ड को निदेश देने का भी अनुरोध किया गया है।

3. अपीलार्थी का पक्षः

(क) अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रसंगाधीन मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन कर दिनांक 30.06.2020 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से की गई थी। उक्त मदरसा की प्रबंध समिति के सचिव ने दिनांक 12.03.2020 के पत्र द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक प्रशिक्षित एवं मौलवी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुमति माँगी। तत्पश्चात, उक्त मदरसा की प्रबंध समिति ने दिनांक 14.03.2020 को पिंडर समाचार पत्र में विज्ञापन निकालकर सुयोग्य उम्मीदवारों से रिक्त दोनों पदों पर आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.04.2020 थी एवं साक्षात्कार की तिथि 07.04.2020 निर्धारित की गई थी।

(ख) अपीलार्थी का कथन है कि इसके बाद, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसा की प्रबंध समिति को मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक और मौलवी के एक–एक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अपने पत्रांक 1635, दिनांक 16.05.2020 द्वारा अनुमति दी।

(ग) अपीलार्थी का कथन है कि इस बीच, कोविड–19 के प्रसार एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया था तथा साक्षात्कार की तिथि को स्थगित का दिया गया था। इसके उपरांत, दिनांक 20.06.2020 को कौमी तंजीम समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर साक्षात्कार की तिथि दिनांक 29.06.2020 को सुबह 11 बजे होने की जानकारी दी गई थी।

(घ) अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा आवेदन सभी विवरणों के

अपील संख्या–40/2023 मो0 जमीर बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

दिनांक | **आदेश** | अभ्युक्ति

अपीलीय प्राधिकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप साथ विधिवत रूप से संबंधित पदों के लिए दिया गया है। मौलवी पद हेतु 26 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जबकि मैट्रिक प्रशिक्षित पद के लिए 11 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा अंतिम परिणाम के आधार पर अपीलार्थी सं0–1 को मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक के पद के विरूद्ध और अपीलार्थी सं0–2 को मौलवी के पद के विरूद्ध सफल घोषित किया गया था एवं तदनुसार उक्त मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।

(ङ) अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थियों ने अपना योगदान दिनांक 01.07.2020 को दिया, जो मदरसा के प्रधान मौलवी द्वारा स्वीकारा गया। प्रबंध समिति द्वारा अपीलार्थियों के नाम उक्त पदों पर अनुमोदित किए जाने हेतु भेजे गए थे, परंतु अभी तक बोर्ड के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं दिया गया। अपीलार्थीगण संबंधित मदरसा में सभी के संतुष्टि के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। अपीलार्थियों के अनुमोदन से वंचित रहने के कारण उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं।

(च) अपीलार्थी का कथन है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा अपीलार्थियों का अनुमोदन नहीं देना अनुचित है। उचित प्रक्रिया का पालन कर अपीलार्थियों की हुई नियुक्ति को अकारण अनुमोदन नहीं देना बोर्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 का उल्लंघन है। बोर्ड का प्रश्नगत आदेश अवैध है, इसे रद्द किया जाए।

(छ) अपीलार्थी ने दिनांक 19.09.2025 को एक अंतरिम आवेदन (आई0 ए0 याचिका) द्वारा मूल अपील में अपनी प्रार्थना में संशोधन करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड के पत्रांक 2379, दिनांक 28.07.2020 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति सचिव को यह सूचित किया गया कि चूँकि मदरसा के ट्रस्ट का अनुमोदन नहीं दिया गया है। अतः मौलवी एवं मैट्रिक प्रशिक्षित पदों पर प्रबंध समिति द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है।

4. **प्रतिवादी सं0–5 का पक्षः**

(क) प्रतिवादी सं0–5 का कथन है कि वह प्रसंगाधीन मदरसा की प्रबंध समिति के सचिव हैं। दिनांक 12.03.2020 के पत्र द्वारा उन्होंने मदरसा बोर्ड के कार्यालय से मैट्रिक प्रशिक्षित एवं मौलवी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुमति माँगी थी, जो बोर्ड के कार्यालय से नियुक्ति हेतु दी गई। दिनांक 14.03.2020 को पिंडर नामक उर्दू समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा योग्य उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों से उक्त रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 04.04.2020 थी एवं साक्षात्कार की तिथि 07.

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति

04.2020 को निर्धारित की गई थी।

(ग) प्रतिवादी सं0–5 का कथन है कि दिनांक 01.07.2020 को अपीलार्थी ने उक्त मदरसा के प्रधान मौलवी को अपना योगदान दिया। तत्पश्चात्, अपीलार्थी के नाम को अनुमोदनार्थ संबंधित प्रबंध समिति द्वारा बोर्ड के कार्यालय में भेजा गया, परंतु आज तक अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। अपीलार्थी पूरी लगन के साथ मदरसा में पठन–पाठन का कार्य कर रहे हैं।

(घ) प्रतिवादी सं0–5 का कथन है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के निदेशानुसार एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसका निबंधन दिनांक 26.03.2019 को कराया गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ज्ञापांक 3525, दिनांक 11.12.2020 द्वारा प्रतिवादी सं0–5 और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की नियुक्ति को मंजुरी दी।

(ङ) प्रतिवादी सं0–5 का कथन है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ज्ञापांक 1118, दिनांक 12.03.2020 के द्वारा प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर शाहिद अहमद को मौलवी से आलिम पद पर प्रोन्नति का अनुमोदन दिया है। पत्रांक 2379, दिनांक 28.07.2020 द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रतिवादी सं0–5 को सूचित किया कि उनके द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है। परंतु दिनांक 11.12.2020 को मदरसा शिक्षा बोर्ड ने प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन दिया है एवं प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर उक्त मदरसा के एक शिक्षक की प्रोन्नति दी है।

5. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का पक्षः

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह अपील अपीलीय प्राधिकार के समक्ष पोषणीय नहीं है क्योंकि यह बोर्ड के अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के किसी आदेश के विरूद्ध दायर नहीं किया गया है। अपितु इस अपील में अपीलीय प्राधिकार से परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करता है, जो कानूनन उचित नहीं है। यह अपील किसी भी योग्यता से रहित है। अतः इसे खारिज किया जाए।

6. विवेचनाः

(क) सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को भिन्न–भिन्न तिथियों पर सुना गया। अपील की संचिका में रक्षित तथ्यों एवं सभी पक्षों के अधिवक्ताओं के लिखित जवाब एवं मौखिक बहस एवं मूल अपील के अवलोकन से अपीलीय प्राधिकार को ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपील बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मनमाने कृत्य के विरूद्ध दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मदरसा इस्लामिया खेरदेउर मेहना, पो0+थाना–चनपटिया, जिला–पश्चिम चम्पारण (मदरसा सं0–889) में अपीलार्थी की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 30.06.2020 को विधिसम्मत तरीके से की गई थी, परन्तु मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा

अपील संख्या–40/2023 मो0 जमीर बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।		
दिनांक	**आदेश**	अभ्युक्ति
	उक्त नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया गया है तथा अपीलार्थी के वेतन भुगतान हेतु मदरसा शिक्षा बोर्ड को निदेश देने का भी अनुरोध किया गया है। **(ख)** अपीलार्थी ने दिनांक 19.09.2025 को एक अंतरिम आवेदन द्वारा मूल अपील में अपनी प्रार्थना में संशोधन करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड के पत्रांक 2379, दिनांक 28.07.2020 को अभिलेख पर लाया है, जिसके द्वारा संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति सचिव को यह सूचित किया गया कि चूँकि मदरसा के ट्रस्ट का अनुमोदन नहीं दिया गया है। अतः मौलवी एवं मैट्रिक प्रशिक्षित पदों पर प्रबंध समिति द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है। **(ग)** बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, यह अपील अपीलीय प्राधिकार के समक्ष पोषणीय नहीं है क्योंकि यह बोर्ड के अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के किसी आदेश के विरूद्ध दायर नहीं किया गया है, अपितु इस अपील में अपीलीय प्राधिकार से परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करता है, जो कानूनन उचित नहीं है। यह अपील किसी भी योग्यता से रहित है। अतः इसे खारिज किया जाए। **7. निष्कर्षः** **(क)** बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम,1981 (बिहार अधिनियम संख्या 32, 1982) की धारा 28 के तहत मदरसा शिक्षा बोर्ड अथवा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय से विक्षुब्ध पक्षकार अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अंतिम सुनवाई हेतु अपील दायर कर सकते हैं। **(ख)** अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपस्थापित साक्ष्य के मद्देनजर विषयगत मामले में वादी यदि चाहे तो आई0 ए0 याचिका को अलग से अपील के रूप में दायर कर सकते हैं। इस निदेश के साथ अपील की सुनवाई समाप्त की जाती है। ह0/– (विजय कुमार) अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	

ज्ञापांक.....04..... दिनांक.....22/01/2026

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, 05, विद्यापति मार्ग पटना/मो0 जमीर, पिता–कमालुद्दीन अंसारी, पता–द्वार देवी चौक के नजदीक, थाना–बेतिया नगर, जिला–पश्चिम चम्पारण/नूर अंबरी खातून, पिता–युसुफ अंसारी, पता–खेरदेउर महना, थाना–चनपटिया, जिला–पश्चिम चम्पारण/सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा इस्लामिया खेरदेउर महना, पो0+थाना–चनपटिया, जिला–पश्चिम चम्पारण (मदरसा सं0–889)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम

चम्पारण, बेतिया/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पश्चिम चम्पारण, बेतिया/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 22/1/24

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।